

9-7-2015

नि. एडवान 26/9/15



पंचवती गांव राजस्व लोक  
अदालत मंडल केवामंड  
गुण्ण रत्नपुरा पर येका हुमी  
वादी के वकील उका) प्रतिवादी  
नं 1 व 3 उपस्थित) होने  
पक्षों को सुना गया/प्रतिवादी

प्रधान

का कहना है कि इसका वास्तविक  
आराजी के कोई दखल नहीं है।  
वाद वादी डिस्ट्री सिने जाने में  
कोई आपत्ति नहीं है।

~~किस~~ वास्तविक आराजी

रफ्तार 383 रकबा 2-35 ईस्कर वाले  
गुण्ण परवन बूंदी तह. उनिपुय  
वादी की संयुक्त शकलदारी की  
शर्तें हैं अतः प्रतिवादी का  
पावन सिना जाता है कि के

आराजी रफ्तार 383 रकबा 2-35 के  
वाले गुण्ण परवन बूंदी के सिने  
प्रकार से दखलदारी नहीं करे।  
पक्ष डिस्ट्री जारी है। पंचवती  
केवलशुद्ध होकर नम्बर 6 व 8  
है तथा दफ्तर दाखिल है।

अध्यापक अमिता

प्रपत्र -5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक  
राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत रूपपुरा

उनवान

हनुमान पुत्र प्रभू जाति मीना निवासी परवन बून्दी हाल खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक  
- वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र बजरंगा जाति मीना निवासी खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक
2. रूपनारायण पुत्र हनुमान जाति मीना निवासी खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक
3. प्रधान पुत्र हनुमान जाति मीना निवासी खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक
4. फोट्या पुत्र हनुमान जाति मीना निवासी खोहल्या तहसील उनियारा जिला टोंक

-प्रतिवादीगण

**दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर :- 158 वर्ष 2014

वादी की ओर से श्री श्री बी० एल० जैन वकील प्रतिवादी की ओर से हनुमान वगैरह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 9.7.2015 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि आराजी ख०न० 383 रकबा 2.35 है० वाके ग्राम परवन बून्दी में किसी प्रकार से दखलंदाजी नही करे। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 07 सन् 2015 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी  
उनियारा जिला टोंक  
उपखण्ड अधिकारी  
उनियारा, टोंक (राज.)